-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चोरी से खैर के पेड़ को काटकर उनकी तस्करी करने वाले 04 अन्तर्राज्यीय लकडी तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई खैर की लकड़ी व घटना में प्रयुक्त वाहन व रूपये बरामद ।

- 08 कुन्टल खैर की लकडी
- एक टाटा पिकअप
- एक स्विफ्ट गाडी
- एक वीवो मोबाईल फोन
- कुल 1,05,700/- रूपये
- एक मो0सा0 रंग काला

अवगत कराना है कि दिनांक 12.06.2024 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि में वादी के खेत में खड़े 04 खैर के पेड़ काट कर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 177/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगणो की शीघ्र गिरफ्तारी बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.07.24 को मुखबिर की सूचना पर भिन्न-भिन्न स्थानो से विवेचना में प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण **1.नाजिम पुत्र ईशा निवासी ग्राम कुल्हाल थाना विकाश नगर जनपद देहरादून 2.नसीम पुत्र दसौंधी खान निवासी ग्राम मिसरवाला थाना माजरा जनपद सिरमौर हिमांचल प्रदेश 3. शहजाद पुत्र स्व0 साजिद निवासी ग्राम जानीपुर माजरी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 4.जितेन्द्र सिह पुत्र देवेन्द्र सिह निवासी फिरोजपुर थाना चमकौर साहिब जिला रोपट पंजाब** को गिरफ्तार किया गया। जिनकी कब्जे व निशादेही से ग्राम जैनपुर से चोरी हुई खैर की लकड़ियों में से 08 कुन्टल खैर की लकड़ी व कुल 1,05,700 रूपये बरामद हुए तथा घटना में प्रयुक्त 01 टाटा पिकअप वाहन, 01 स्विफ्ट गाड़ी, 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/34 भादवि की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण नाजिम, नसीम, शहजाद ने पूछने पर बताया कि हम तीनो मिलकर शिवालिक की पहाड़ियों व आस पास के जंगलो में रैकी कर रात में खैर के पेड़ो को काटकर लकड़ी अपनी टाटा पिकअप में लादकर

उन्हे अपनी साथी को बेच देते है। चोरी करते समय पुलिस व वन विभाग से बचने के लिए हम तीनो अपनी सुरक्षा के तौर पर अपनी लकड़ी से भरी टाटा पिकअप के आगे व पीछे मो0सा0 व स्विफ्ट गाड़ी लगाकर चलते है। स्विफ्ट कार हम लोगो को हमारे चौथे साथी जितेन्द्र ने दे रखी थी। हम तीनो लोगो ने दिनांक 11/12.06.24 की रात्रि में ग्राम जैनपुर से चार खैर के पेड़ो को काटकर लकड़ी अपनी टाटा पिकप में लादकर अपने चौथे साथी जितेन्द्र सिंह को चण्डीगढ़ में जाकर 1,45,000 में बेच दी थी उसने हमें उसी दिन 45000 रूपये नकद दे दिये थे जो हम तीनो ने आपस में 15000....15000 रूपये में बाँट लिये थे और बाकी के 01 लाख रूपये जितेन्द्र ने बाद मैं देने का वायदा किया था। ज्यादा लकड़ी होने के कारण हमारी टाटा पिकअप में सभी लकड़ी नही आ पाई थी तो हमने वही पास में ही बन्द पड़े भट्टे में झाड़ियो में करीब 08 कुंटल लकड़ी छुपा दी थी। कल हम तीनो हथिनी कुण्ड बैराज के पास मिलकर बाकी की लकड़ियों को लेने जा रहे थे कि हमें पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अभियुक्त नाजिम से 2000 रूपये , अभियुक्त नसीम 2200 रूपये , अभियुक्त शहजाद से 1500 रूपये मिले है ये वही चोरी की लकड़ी के रूपयो में से है बाकी के रूपये हमसे खर्च हो गये अभियुक्त जितेन्द्र ने बताया कि मैं इन तीनो नाजिम , नसीम , शहजाद से चोरी की खैर की लकड़ियों को खरीदता आ रहा हूँ। इसके लिए मैने अपनी एक गाड़ी स्विफ्ट इन लोगो को दे रखी है। इन तीनो ने मुझे दिनांक 12.06.24 की सुबह में खैर की लकड़ी लाकर दी थी उसके बदले में मैने इन्हे 45,000 रूपये उसी दिन दे दिये थे बाकी के रूपये किसी और दिन के लिये बोल दिया था इन लोगो ने मुझे कल मिलने के लिए मुझे चण्डीगढ़ में मिलने बुलाया था इसलिए मैं इन लोगो से मिलने आ रहा था कि मुझे पुलिस वालो ने पकड़ लिया। जो मुझसे 100000 रूपये मिले है वह वही रूपये है जो मैने इन्हे बाद में देने के लिए बोला था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. नाजिम पुत्र ईशा निवासी ग्राम कुल्हाल थाना विकाश नगर जनपद देहरादून
2.नसीम पुत्र दसौंधी खान निवासी ग्राम मिसरवाला थाना माजरा जनपद सिरमौर हिमांचल प्रदेश
3. शहजाद पुत्र स्व0 साजिद निवासी ग्राम जानीपुर माजरी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4.जितेन्द्र सिह पुत्र देवेन्द्र सिह निवासी फिरोजपुर थाना चमकौर साहिब जिला रोपट पंजाब

बरामदगी का विवरणः-

1. टाटा पिकअप गाड़ी नम्बर HR58B6474
2. स्विफ्ट कार नम्बर PB12AJ2739
3. एक मोटर साईकिल नम्बर UP11CK7731
4. एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी
5. कुल 1,05,700 रूपये

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 सतेन्द्र शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 866 सचिन ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. हे0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर एवं **थाना नकुड पर नियुक्त अन्य आरक्षीगण**

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12/07/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा साईबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 25,000/- रूपये पीडित के खाते में कराये गये वापस ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में साईबर अपराधो की रोकथाम के अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12/07/2024 को थाना देवबन्द साईबर सैल टीम द्वारा पीडित पोनिस सैनी निवासी तल्हेडी बुजुर्ग की शिकायत, संख्या 23106240068034 जिसमें दिनांक 24/06/2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल करके online business के नाम पर पीडित के साथ ठगी किये गय़े 25000/- **की** धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई है। अवगत करा दें कि प्रकरण में थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये शिकायत दर्ज करते हुये पीडित के **25000/- रूपये पंजाब नेशनल बैंक में होल्ड कराये थे।** सम्बन्धित बैंक से समन्वय करते हुये आज दिनांक 12/07/2024 को साईबर सेल देवबन्द सहारनपुर द्वारा पीडित की साईबर ठगी में गई **25000/- रूपये पीडित के खाते में वापस कराये गये हैं।**

साईबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साईबर टीमः-

1. संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द स0पुर
2. व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. कम्प0 आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 12/07/2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 21/05/2024 को वादी प्रवेज पुत्र फैय्याज हसन निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त एस0एस0ओ0 सुशील उर्फ नीटू पुत्र करणपाल नि0 ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर द्वारा बिजली की लाईन में करन्ट छोडा गया जिससे लाईन पर काम करे रहे वादी के भाई बिल्लू पुत्र फैयाज नि0 ग्राम मोहनपुरा की मौके पर मृत्यु हो गयी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-194/24 धारा 304 भादवि बनाम सुशील उर्फ नीटू पुत्र करणपाल नि0 ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक अभियुक्त **सुशील उर्फ नीटू पुत्र करणपाल नि0 ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** को ग्राम सहजवी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त सुशील उर्फ नीटू उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुशील उर्फ नीटू पुत्र करण पाल नि0 ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) का0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12/07/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गौकशी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी व पशु तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गौकसी के मुकदमें के वाछित अभियुक्त अभि0 **राशिद पुत्र महूबब नि0 पीकी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को मढ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया गया। अभि0 को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पताः-

राशिद पुत्र महूबब नि0 ग्राम पीकी थाना कोतवाल देहात जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0- 305/21 धारा 136, 137 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 459/21 धारा 136, 137 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3.मु0अ0स0 196/24 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना को0देहात सहारनपुर
4.मु0अ0स0 643/21 धारा 279, 304-A, 337, 338 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर
5.मु0अ0स0 124/22 धारा 379, 411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
6.मु0अ0स0 127/22 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
7.मु0अ0स0 128/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 चन्द्रसैन सैनी सिह थाना को0देहात स0पुर
2. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना को0देहात स0पुर
3. एचसी 843 विवेक कुमार थाना को0देहात स0पुर
4. का0 1551 अमित तौमर थाना को0देहात स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12/07/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.07.2024 को थाना कोतलवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **सोनू उर्फ अश्वनी पुत्र जनार्धन थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 345/22 धारा 8/20 एनडीपीस एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया गया। अभि0 को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पताः-

सोनू उर्फ अश्वनी पुत्र जनार्धन थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0- 648//18 धारा 8/20 एनडीपीस एक्ट थाना को0देहात जिला सहारनपुर

2.मु0अ0स0 345/22 धारा 8/20 एनडीपीस एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 चन्द्रसैन सैनी सिह थाना को0देहात स0पुर

2. उ0नि0 सुबोध कुमार थाना को0देहात स0पुर

3. एचसी 675 सचिन कुमार थाना को0देहात स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा खेत में प्रयोग की जाने वाली खाद व कीटनाशक दवाई चोरी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 03/05/2024 को वादी श्री रामकुमार त्यागी (एडवोकेट) पुत्र स्व0 श्री बीरबल सिंह नि0 ग्राम साधारणपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत पौली हाऊस में कार्यरत कर्मचारियों सचिन व मोनिका उर्फ अनामिका के द्वारा वादी के पौली हाऊस के गोदाम में रखे हुये खाद व कीटनाशक दवाईयाँ चोरी के मामले में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 217/2024 धारा 381 भा0द0वि0 बनाम 1. सचिन व 2. मोनिका उर्फ अनामिका के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त सचिन पुत्र दासा नि0 ग्राम रणसूरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सेक्टर न0-6, सिडकुल हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त सचिन ने पूछने पर बताया कि मै व मोनिका पत्नि अमन दोनो वकील साहब रामकुमार त्यागी के पालीहाऊस में काम करते है। मैने व मोनिका ने पौली हाऊस से एबासीन एंव हैक्ट्रीक/खाद चोरी कर ली थी उसमें से कुछ दवाईया तो मैने चलते फिरते बेच दी थी और कुछ मैने फार्म हाउस के मालिक को वापस कर दी थी और जो रूपये मिले थे आपस में बांट लिये थे और जो एबासीन की बोतल मेंरे घर से मिली है। यह चोरी की गयी दवाई में से बची हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

सचिन पुत्र दासा निवासी ग्राम रणसूरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगीः-

03 शीशी दवाई एबासीन (100ml)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2275 रुपेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 12.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नवीन द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ जबरन छेडखानी करना, कपडे फाड देना, दुष्कर्म का प्रयास करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 98/24 धारा 376/511/354(क)/354(ख)/452/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम नवीन के विरुद्ध पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त नवीन पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को बुग्गावाला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नवीन पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 12.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.07.24 को कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा **01 जिलाबदर अभियुक्त अफजल पुत्र रहीस निवासी मौहल्ला किला नबाबंगज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** उम्र करीब 24 वर्ष जोकि माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर के वाद सं0- 2103/2023 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202309600002103 में दिनांक 29-4-2024 को जिला बदर है, को बागेश्वर मन्दिर बेहट रोड के गेट के सामने हल्का ओपी नबाबगंज से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अफजल उपरोक्त के खिलाफ थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0—168/24 धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अफजल पुत्र रहीस निवासी मौहल्ला किला नबाबंगज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 54/17 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
2. मु0अ0सं0 78/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
3. मु0अ0सं0 224/22 धारा 379,411,420,465,471 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
4. मु0अ0सं0 239/22 धारा 379,411 भादवि चालानी थाना मण्डी जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 12.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.07.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 01 **शातिर अभियुक्त नईम पुत्र मतलूब निवासी ग्राम चकबीबीपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को हाफिज जी का बाग ग्राम चकबीबीपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 164/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह तमंचा मैने एक राह चलते व्यक्ति से खऱीदा था जिसका नाम पता मै नही जानता हूँ। मैं तमंचा लोगों पर रौब जमाने व डराने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अभियुक्त नईम पुत्र मतलूब निवासी ग्राम चकबीबपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0— 12/2024 धारा—3/25 ए एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी-

01 तमंचा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.07.2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2019 को वादी श्री शकील पुत्र नाजर नि0 मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री को अभियुक्तगण 1-शोएब पुत्र मुस्तकीम, 2-मुस्तकीम पुत्र मीरहसन, 3-श्रीमती खुशनुमा पत्नी मुस्तकीम नि0गण ग्राम झाडवान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व मांग पुरी न होने पर गला दबाकर हत्या करने की सुचना पर मु0अ0स0-116/2019 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कोतवाली तीतरों जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 57/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-1 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 12.07.2024 को अभियुक्त शोएब पुत्र मुस्तकीम उपरोक्त को मु0अ0स0-116/2019 वैकल्पिक धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अजय शर्मा
पैरोकार का0 1655 रविकुमार थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा पोक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.05.2018 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त 1-अनिल पुत्र देवीचन्द नि0 लडवा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के द्वारा बदनियती से कोली भरकर कपडे अस्तवयस्त करना व छेडखानी करने की सूचना पर मु0अ0स0-161/2018 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सों अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 60/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 12.07.2024 को अभियुक्त अनिल पुत्र देवीचन्द उपरोक्त को मु0अ0स0-161/2018 धारा 7/8 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती शहजाद खान

विवेचक उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह

पैरोकार का0 2169 राहुल कुमार थाना को0 देहात, जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 05 अभियुक्तो को 05 वर्ष का कारावास व 95 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2016 को वादी श्री कुर्बान पुत्र मासूम अली नि0 उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबात अभियुक्तगण 1-अफसर पुत्र अब्दुल रहमान नि0 उग्राहू थाना गागलहेडी 2-असलम पुत्र बन्दु नि0 उपरोक्त, 3-मंजुर पुत्र असलम नि0 उपरोक्त, 4-शहजाद पुत्र अय्यूब अली नि0 खानपुरा थाना गागलहेडी व 5-सैताब पुत्र याकूब अली नि0 उपरोक्त जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के पुत्र पर एक राय होकर धारदार हथियारो से हमला करना व गले पर बलकटी से वार करना व वादी के पुत्र को गम्भीर रूप से घायल कर देने की सूचना पर मु0अ0स0-233/2016 धारा 147,148,149,324,307,504,506 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 276/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 12.07.2024 को 1-अफसर पुत्र अब्दुल रहमान 2-असलम पुत्र बन्दु 3-मंजुर पुत्र असलम 4-शहजाद पुत्र अय्यूब अली 5-सैताब पुत्र याकूब अली उपरोक्त को मु0अ0स0-233/2016 धारा 147,148,149,324,307,504,506 भादवि का दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 19 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक उ0नि0 श्री ब्रजभूषण सिंह

पैरोकार का0 1360 रजनीष कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर